पंजीयन क्रमांक 68/JODHPUR/2007-2008

गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी

तुलनात्मक विवरण

संशोधित संघ विधान पत्र

संघ विधान पत्र	पूर्व प्रावधान	नवीन संशोधित प्रावधान
बिन्दू संख्या 1	इस संस्था का नाम :- गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी, है व रहेगा।	इस संस्था का नाम :- गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी, है व रहेगा।
बिन्दू संख्या 2	इस संस्थान का पंजिकृत कार्यालय - बी -1, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर है तथा संस्था का कार्यक्षेत्र - राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।	इस संस्थान का पंजिकृत कार्यालय - बी -1, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर है तथा संस्था का कार्यक्षेत्र - राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।
बिन्दू संख्या 3	इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है :	इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है :
1.	राजस्थान के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य करना।	विभिन्न शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, डिफेन्स प्रशिक्षण, कृषि महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, खेल - कूद प्रशिक्षण/महाविधालय, योग प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आईटीआई, इन्जनीयरिंग कॉलेज, वेटरनरी महाविधालय, महिला महाविधालय, प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी मार्गदर्शन, चिकित्सा संस्थान, नर्सिग, छात्रावास, फार्मेसी, केन्द्र तथा राज्य स्तरीय दुरस्थ परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना एवं सामान्य/विशेष शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण डिग्री तथा डिप्लोमा संचालित करना।
2.	शिक्षा के विकास के लिए संस्थान द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।	विधवा/तलाकसुदा/परित्यक्ता/निःशक्तजन /एकल नारियों/दिव्यांग महिलाओं को दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातक स्तर तक की शिक्षा निशुल्क प्रदान करवाना। तथा स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार प्राप्त करने हेतू विभिन्न प्रकार के सिलाई, कशीदा, घरेलू खाद्य उत्पादों निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करना।
3.	संस्थान द्वारा विभिन्न विधालयों एवं महाविधालयों	अनुसुचित जाति, जनजाति, बीपीएल, कैंसर, एडस एवं कुष्ठ रोग इत्यादि

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष
Gurukul Education Society
Jodhpur

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	का संचालन करना।	असाध्य रोग से पिड़ित परिवार की बालिकाओं, अनाथ, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समुह, निर्धन परिवारों के बालिकाओं की कक्षा पूर्व प्राथमिक से स्नातक तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का निशुल्क अध्ययन की व्यवस्था करवाना।
4.	तकनीकी शिक्षा के प्रसार, इंटरनेट तथा कम्प्यूर्टस प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना।	विद्यार्थियों व समस्त नागरिकों के मानसिक विकास हेतु पुस्तकालय वाचनालय की निशुल्क व्यवस्था करवाना।
5.	प्रचार-प्रसार के माध्यम से पर्यावरण एवंज न जागृति के कार्य करना, समय-समय पर विभिन्न शोध कार्य, सेमिनार, गोष्ठिया एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।	ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करवाना तथा उनकी सार संभाल का जिम्मा उठाना।
6.	उपर्युक्त उदश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रवर्तित योजनाओं को प्राप्त कर उन्हें कियान्वित करना।	विभिन्न प्रकार की पंजीकृत गौ सेवा समितियों, अनाथ आश्रम, बालिका गृह, नारी निकेतन, शिशु गृह इत्यादि को राजकीय योजनाओं के कियान्वयन में निशुल्क सहयोग प्रदान करना।
7.	समाज के पिछडे तबके को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उसके पुनरूत्थान पर कार्य करना जिससे न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके।	सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज, अफीम डोडा, शराब, स्मैक इत्यादि के दुष्प्रभावों को जन - जागृति शिविरों के माध्यम से जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना।
8.	महिला/विधवा/परित्यकता को शिक्षा व रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलम्बन बनाना।	अकाल, सुखा, अतिवृष्टि, महामारी, आपदा के समय लोगों की शिक्षा, चिकित्सा तथा खाद्य संबंधी पूर्तियों के संबंध में जन मानस में सेवा भाव उत्पन्न करवाना।
9.	अनाथ बालक/बालिका को शिक्षा संस्कार देकर के उनको मुख्यधारा में जोड़कर रोजगार हेतु तैयार करना।	रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाना एवं ब्लड बैंक की स्थापना करना। बालक - बालिकाओं, महिलाओं को उर्दु, फारसी, अरबी, हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य बोली जाने वाली भाषाओं का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करना।
10.	कोई प्रावधान नहीं।	बिजली, पानी, रसद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राज्य/केन्द्र स्तर) से वंचित परिवारों को सरकारी लाभ दिलाने हेतू

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

मंत्री
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

		अधिकाधिक आवेदन करवाना एवं दिव्याग विधार्थियों हेतु पृथक स्कूल, कॉलेज, टीचर ट्रेनिग प्रदान करवाना।
11.	कोई प्रावधान नहीं।	विभिन्न कम्प्यूटर तथा कौशल प्रदान पाठ्यकर्मों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना एवं एप्प, लिंक एवं अन्य इंटरनेट संसाधनों के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना ।
12.	कोई प्रावधान नहीं।	अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन करना। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा से जोड़कर उनके विकास में सहभागिता निभाना।
13.	कोई प्रावधान नहीं।	महापुरूषों की जंयती तथा पुण्यतिथी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक, शैक्षणिक तथा साहित्यिक कार्यकर्मों का आयोजन करवाकर समाज में सकारात्मकता का संदेश प्रदान करवाना।
14.	कोई प्रावधान नहीं।	अल्पसंख्यक विद्यालय/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।
15.	कोई प्रावधान नहीं।	महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना ।
16.	कोई प्रावधान नहीं।	महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इत्यादि से सुरक्षा हेतू निशुल्क विधिक सलाह एवं परामर्श प्रदान करना।
17.	कोई प्रावधान नहीं।	अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण हेतु उचित शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विधालय, छात्रावास, चिकित्सालय तथा मोबाईल डिसपेंसरी आदि की स्थापना तथा संचालन करना।
18.	कोई प्रावधान नहीं।	सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली हानि से बचाने हेतु आमजन को यातायात के नियमों की जानकारी देना तथा सड़क सुरक्षा संबंधी जनचेतना कार्यकम का आयोजन करना।
19.	कोई प्रावधान नहीं।	पाश्चात्य संस्कृति के कारण बढ़ते

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

		पारिवारिक कलह तथा परिवार विघटन से समाज को बचाने हेतु परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना।
20.	कोई प्रावधान नहीं।	जिन ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो वहां आमजन की रक्षार्थ ऐम्बूलेंस सेवाओं का संचालन करना।
21.	कोई प्रावधान नहीं।	निराश्रित, बेघर, भिक्षुक, गरीब तथा असहाय लोगों की सेवार्थ मुफ्त भोजन, कपड़े, कंबल इत्यादि की व्यवस्था करना।
22.	कोई प्रावधान नहीं।	दिव्यांगजन छात्र-छात्राओं के लिये विशेष विधालय का संचालन करना व मानसिक विमंदित गृह की स्थापना करना। दिव्यांगजन हेतु शिविरों का आयोजन कर उपकरण वितरण करना। गरीब, निशक्तजन व भिखारियों के लिए पुर्नवास के लिए केन्द्र की स्थापना करना।
23.	कोई प्रावधान नहीं।	खाद्य सुरक्षा तथा शुद्ध के लिए युद्ध जैसे कार्यकर्मों एवं मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में सरकार का सहयोग करना।
24.	कोई प्रावधान नहीं।	सहकारिता के ध्येय वाक्य "एक सब के लिए सब एक के लिए" की मूलभावना पर कार्य करना तथा सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
25.	कोई प्रावधान नहीं।	जन हितार्थ राज्य/केन्द्र सरकार से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास इत्यादि के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आंवटन कराने हेतु नियमानुसार प्रकिया पूर्ण करना।
26.	कोई प्रावधान नहीं।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सभी फलैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Gurukul Education Society
Jodhpur

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन कमांक 68/JODHPUR/2007-2008

गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी

तुलनात्मक विवरण

संशोधित संघ विधान नियमावली

संघ विधान पत्र	पूर्व प्रावधान	नवीन संशोधित प्रावधान
बिन्दू संख्या 1	**इस संस्था का नाम :- गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी, है व रहेगा।**	**इस संस्था का नाम :- गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी, है व रहेगा।**
बिन्दू संख्या 2	**इस संस्थान का पंजिकृत कार्यालय - बी -1, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर है तथा संस्था का कार्यक्षेत्र - राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।**	**इस संस्थान का पंजिकृत कार्यालय - बी -1, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर है तथा संस्था का कार्यक्षेत्र - राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।**
बिन्दू संख्या 3	**इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है :**	**इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है :**
1.	राजस्थान के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य करना।	विभिन्न शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, डिफेन्स प्रशिक्षण, कृषि महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, खेल - कूद प्रशिक्षण/महाविधालय, योग प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आईटीआई, इन्जनीयरिंग कॉलेज, वेटरनरी महाविधालय, महिला महाविधालय, प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी मार्गदर्शन, चिकित्सा संस्थान, नर्सिंग, छात्रावास, फार्मेसी, केन्द्र तथा राज्य स्तरीय दुरस्थ परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना एवं सामान्य/विशेष शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण डिग्री तथा डिप्लोमा संचालित करना।
2.	शिक्षा के विकास के लिए संस्थान द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।	विधवा/तलाकसुदा/परित्यक्ता/निःशक्तजन /एकल नारियों/दिव्यांग महिलाओं को दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातक स्तर तक की शिक्षा निशुल्क प्रदान करवाना। तथा स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार प्राप्त करने हेतू विभिन्न प्रकार के सिलाई, कशीदा, घरेलू खाद्य उत्पादों निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करना।
3.	संस्थान द्वारा विभिन्न विधालयों एवं महाविधालयों	अनुसुचित जाति, जनजाति, बीपीएल, कैंसर, एडस एवं कुष्ठ रोग इत्यादि

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	का संचालन करना।	असाध्य रोग से पिड़ित परिवार की बालिकाओं, अनाथ, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समुह, निर्धन परिवारों के बालिकाओं की कक्षा पूर्व प्राथमिक से स्नातक तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का निशुल्क अध्ययन की व्यवस्था करवाना।
4.	तकनीकी शिक्षा के प्रसार, इंटरनेट तथा कम्प्यूर्टस प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना।	विद्यार्थियों व समस्त नागरिकों के मानसिक विकास हेतु पुस्तकालय वाचनालय की निशुल्क व्यवस्था करवाना।
5.	प्रचार–प्रसार के माध्यम से पर्यावरण एवंज न जागृति के कार्य करना, समय–समय पर विभिन्न शोध कार्य, सेमिनार, गोष्ठिया एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।	ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करवाना तथा उनकी सार संभाल का जिम्मा उठाना।
6.	उपर्युक्त उदश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रवर्तित योजनाओं को प्राप्त कर उन्हें कियान्वित करना।	विभिन्न प्रकार की पंजीकृत गौ सेवा समितियों, अनाथ आश्रम, बालिका गृह, नारी निकेतन, शिशु गृह इत्यादि को राजकीय योजनाओं के कियान्वयन में निशुल्क सहयोग प्रदान करना।
7.	समाज के पिछडे तबके को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उसके पुनरुत्थान पर कार्य करना जिससे न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके।	सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज, अफीम डोडा, शराब, स्मैक इत्यादि के दुष्प्रभावों को जन – जागृति शिविरों के माध्यम से जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना।
8.	महिला/विधवा/परित्यकता को शिक्षा व रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलम्बन बनाना।	अकाल, सुखा, अतिवृष्टि, महामारी, आपदा के समय लोगों की शिक्षा, चिकित्सा तथा खाद्य संबंधी पूर्तियों के संबंध में जन मानस में सेवा भाव उत्पन्न करवाना।
9.	अनाथ बालक/बालिका को शिक्षा संस्कार देकर के उनको मुख्यधारा में जोड़कर रोजगार हेतु तैयार करना।	रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाना एवं ब्लड बैंक की स्थापना करना। बालक – बालिकाओं, महिलाओं को उर्दु, फारसी, अरबी, हिन्दी, अग्रेजी तथा अन्य बोली जाने वाली भाषाओं का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करना।
10.	कोई प्रावधान नहीं।	बिजली, पानी, रसद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राज्य/केन्द्र स्तर) से वंचित परिवारों को सरकारी लाभ दिलाने हेतू

Mahesh
अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

Vimla
सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

प्रकाशराम
कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

		अधिकाधिक आवेदन करवाना एवं दिव्याग विधार्थियों हेतु पृथक स्कूल, कॉलेज, टीचर ट्रेनिग प्रदान करवाना।
11.	कोई प्रावधान नहीं।	विभिन्न कम्प्यूटर तथा कौशल प्रदान पाठ्यकर्मों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना एवं एप्प, लिंक एवं अन्य इंटरनेट संसाधनों के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना ।
12.	कोई प्रावधान नहीं।	अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन करना। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा से जोड़कर उनके विकास में सहभागिता निभाना।
13.	कोई प्रावधान नहीं।	महापुरूषों की जंयती तथा पुण्यतिथी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक, शैक्षणिक तथा साहित्यिक कार्यकर्मों का आयोजन करवाकर समाज में सकारात्मकता का संदेश प्रदान करवाना।
14.	कोई प्रावधान नहीं।	अल्पसंख्यक विद्यालय/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।
15.	कोई प्रावधान नहीं।	महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना ।
16.	कोई प्रावधान नहीं।	महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इत्यादि से सुरक्षा हेतू निशुल्क विधिक सलाह एवं परामर्श प्रदान करना।
17.	कोई प्रावधान नहीं।	अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण हेतु उचित शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विधालय, छात्रावास, चिकित्सालय तथा मोबाईल डिसपेंसरी आदि की स्थापना तथा संचालन करना।
18.	कोई प्रावधान नहीं।	सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली हानि से बचाने हेतु आमजन को यातायात के नियमों की जानकारी देना तथा सड़क सुरक्षा संबंधी जनचेतना कार्यकम का आयोजन करना।
19.	कोई प्रावधान नहीं।	पाश्चात्य संस्कृति के कारण बढ़ते

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

		पारिवारिक कलह तथा परिवार विघटन से समाज को बचाने हेतु परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना।
20.	कोई प्रावधान नहीं।	जिन ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो वहां आमजन की रक्षार्थ ऐम्बूलेंस सेवाओं का संचालन करना।
21.	कोई प्रावधान नहीं।	निराश्रित, बेघर, भिक्षुक, गरीब तथा असहाय लोगों की सेवार्थ मुफ्त भोजन, कपड़े, कंबल इत्यादि की व्यवस्था करना।
22.	कोई प्रावधान नहीं।	दिव्यांगजन छात्र-छात्राओं के लिये विशेष विधालय का संचालन करना व मानसिक विमंदित गृह की स्थापना करना। दिव्यांगजन हेतु शिविरों का आयोजन कर उपकरण वितरण करना। गरीब, निशक्तजन व भिखारियों के लिए पुर्नवास के लिए केन्द्र की स्थापना करना।
23.	कोई प्रावधान नहीं।	खाद्य सुरक्षा तथा शुद्व के लिए युद्व जैसे कार्यक्रमों एवं मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में सरकार का सहयोग करना।
24.	कोई प्रावधान नहीं।	सहकारिता के ध्येय वाक्य "एक सब के लिए सब एक के लिए" की मूलभावना पर कार्य करना तथा सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
25.	कोई प्रावधान नहीं।	जन हितार्थ राज्य/केन्द्र सरकार से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास इत्यादि के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आंवटन कराने हेतु नियमानुसार प्रकिया पूर्ण करना।
26.	कोई प्रावधान नहीं।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सभी फलैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं कियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
बिन्दू संख्या 4.	सदस्यता :- निम्न योग्यता वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे। 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो।	यथावत्

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	2. बालिग हो। 3. पागल या दिवालिया न हो। 4. भारत का नागरिक हो। 5. संस्था के उदेश्यों में रूचि व आस्था रखते हो। 6. संस्था के हित को सर्वोपरी समझते हों।	
बिन्दू संख्या 5	सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें। 1. साधारण	यथावत्
बिन्दू संख्या 6	सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा। 1. साधारण 2. वार्षिक 1100 3. मासिक शुल्क : 101/- उक्त राशि एक मुश्त जमा करवाई जा सकेगी।	यथावत्
बिन्दू संख्या 7.	सदस्यों का निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा। 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. त्याग पत्र देने पर। 3. संस्था के उदेश्यों के विपरित कार्य करने पर। 4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। 5. समय पर सदस्यता शुल्क जमा नहीं करने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के भीतर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहु मत का निर्णय अंतिम होगा।	यथावत्
बिन्दू संख्या 8.	साधारण सभा :- संस्था के उपनियम 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	यथावत्
बिन्दू संख्या 9.	साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :- साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित होगे। 1. प्रबन्धकार्यकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना।	यथावत्

Gurukul Education Society Jodhpur

Gurukul Education Society Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पृष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संसोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर लागू होगा।) 5. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना। 6. वार्षिक ऑडिटर की नियुक्ति करना। 7. संस्था की सम्पति आदि की सुरक्षा करना। 8. समय समय पर प्रबंन्ध संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश देना।	
बिन्दू संख्या 10.	साधारण सभा की बैठकें :- 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पर विशेष सभा अध्यक्ष या सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सुचना सात दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व में थे। 5. संस्था के 2/3 अथवा 11 सदस्य इनमें से जो भी कम हों के लिखित आवेदन करने पर सचिव या अध्यक्ष द्वारा एक माह के भीतर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में सचिव	यथावत्

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	या अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।	
बिन्दू संख्या 11.	कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे। 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. सचिव – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5. सदस्य – तीन इस प्रकार कार्यकारिणी में 04 पदाधिकारी व 03 सदस्य कुल 07 सदस्य होगें।	कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे। 1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. सचिव – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5. छात्र प्रतिनिधि – एक 6. शिक्षक प्रतिनिधि – एक 7. अभिभावक प्रतिनिधि – एक 8. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनित सदस्य – एक 9. सदस्य – सात इस प्रकार कार्यकारिणी में 08 पदाधिकारी व 13 सदस्य कुल 21 सदस्य होगें।
बिन्दू संख्या 12.	कार्यकारिणी का निर्वाचन :– 1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी। 4. कार्यकारिणी द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा रिक्त पदों का मनोनयन किया जावेगा।	यथावत्
बिन्दू संख्या 13.	कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य – संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगे। 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की संपति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके	यथावत्

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष
Gurukul Education Society

Signature valid
Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	वेतन भर्तो का निर्धारण करना और उन्हें सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियॉ बनाना। 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।	
बिन्दू संख्या 14.	कार्यकारिणी की बैठके :- 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 1 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष या सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देनी होगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्कता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	यथावत्
बिन्दू संख्या 15.	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :- अध्यक्ष :- 1. बैठको की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णयक मत देना। 3. बैठके आहुत करना।	यथावत्

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। 6. संस्था के उदेश्यों की पूर्ति एवं कियान्वित कराने के लिए निष्ठापूर्ण प्रबन्ध करना। उपाध्यक्ष :– 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सम्पूर्ण कार्यो का जिम्मा लेना एवं उन्हें पूर्ण करना। 2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का उपयोग करना। सचिव :– 1. बैठके अध्यक्ष की अज्ञा से आहुत करना। 2. कार्यवाही लिखना व रिकॉर्ड रखना। 3. आय व्यय पर नियंत्रण रखना। 4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल पास कर करना। 6. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 7. पत्र व्यवहार करना। 8. बैंक के खातों व चैक का संचालन करना। 9. सम्पति की सुरक्षा हेतू वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो, करना। कोषाध्यक्ष :– 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना। 5. पत्र व्यवहार करना। 6. बैंक के खातों व चैक का संचालन करना।	

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

बिन्दू संख्या 16.	संस्था का कोष :- 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5.राजकीय अनुदान 6. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य वितिय संस्थाओं में सुरक्षित रखी जायेगी। अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो पदाधिकरियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा।	यथावत्
बिन्दू संख्या 17.	कोष संम्बधी विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें। 1. अध्यक्ष - 5000 रूप्ये। 2. सचिव - 3000 रूप्ये। 3. कोषाध्यक्ष - 1500 रूप्ये।	यथावत्
बिन्दू संख्या 18.	संस्था का अंकेक्षण - संस्था के समस्त लेखो जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा व अंकेक्षण (ऑडिटर) की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी। संस्था के समस्त वार्षिक लेखे जोखों को आवश्यकता होने पर रजिस्ट्रार संस्थाएं जोधपुर में प्रस्तुत करने होगें।	यथावत्
बिन्दू संख्या 19.	संस्था के विधान में परिवर्तन :- 1. संस्था का विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संसोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगें।	यथावत्
बिन्दू संख्या 20.	संस्था का विघटन :- 1. संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल सम्पति समान उदेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम	यथावत्

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location:

	1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	
बिन्दू संख्या 21.	संस्था के लेखा जोखा का निरीक्षण :– उपरजिस्ट्रार संस्थाए जोधपुर को संस्था के लेखे जोखे रिकॉर्ड निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा और उनके सुझावों की पूर्ति की जाएगी।	यथावत्

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली – **गुरूकुल एज्युकेशन सोसायटी** की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष
President
Gurukul Education Society
Jodhpur

सचिव
Secretary
Gurukul Education Society
Jodhpur

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.07.22 16:01:54 IST
Reason: Approved
Location: